

न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बर्डजलास श्री लक्ष्मी नारायण मीणा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक/वि.अ./05/17/अजमेर (2017/00191)

विभागीय अपील द्वारा श्री महेश पारीक पदच्युत पटवारी हाल मुकाम धाबाई मोहल्ला पुराना शहर किशनगढ़ जिला अजमेर के विरुद्ध जिला कलक्टर अजमेर के आदेश दिनांक 16/19.10.2015 जिसके द्वारा अपचारी कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 19(1) के अन्तर्गत पदच्युत (Terminate) किया गया।

उपस्थित:- श्री महेश पारीक पदच्युत पटवारी हाल मुकाम धाबाई मोहल्ला पुराना शहर किशनगढ़ जिला अजमेर।

निर्णय

दिनांक:- 29-11-2017

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 16/19-10-2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी के विरुद्ध जिला कलक्टर, (भू.अ.) अजमेर द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 19 (1) के अन्तर्गत पदच्युत (Terminate) करने का आदेश क्रमांक क.अ./भू.अ./विजा/15/89 दिनांक 16/19-10-2015 किया गया जिसके विरुद्ध अपचारी पटवारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज की जाकर अपचारी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा जिला कलक्टर, अजमेर का रेकार्ड व टिप्पणी प्राप्त की गई। अपचारी को व्यक्तिशः सुना गया इनका कथन है कि जिला कलक्टर, अजमेर का आदेश दिनांक 16/19-10-2015 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 19(1) के तहत निहित विधिक प्रक्रिया की अक्षरशः पालना किये बिना सेवा से पदच्युत (Terminate) किया है जो विधिविरुद्ध होने से निरस्तनीय है।

अपीलार्थी ने अपील में एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान कथन किया कि अपीलार्थी के विरुद्ध माननीय सेशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अजमेर के यहां एक आपराधिक प्रकरण संख्या 9/11 सरकार बनाम महेश कुमार पारीक विचाराधीन था जिसमें माननीय विचारण न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध दोष सिद्धी को प्रमाणित करते हुए प्रार्थी को दो वर्षों का कठोर कारावास तथा 5000/- रुपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया गया था। प्रार्थी द्वारा उक्त दण्डादेश दिनांक 16/19-10-2015 के विरुद्ध जिला कलक्टर, अजमेर को



दिनांक 5-1-2016 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था कि उनके द्वारा जारी किया गया आदेश विधिविरुद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। जिला कलक्टर अजमेर ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 5-1-2016 पर किसी प्रकार का प्रतिउत्तर नहीं दिया गया तब प्रार्थी ने विवश होकर उक्त दण्डादेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर के समक्ष एस.बी. सिविल याचिका संख्या 1985/16 बउनवान महेश पारीक बनाम जिला कलक्टर, अजमेर प्रस्तुत की एवं माननीय न्यायालय से अनुतोष चाहा गया कि जिला कलक्टर अजमेर के उक्त आदेश को निरस्त किया जावे।

उन्होंने यह भी कथन किया कि माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिका पर अपने निर्णय दिनांक 7-2-2017 को बिना किसी मैरिट पर पहुंचे हुए प्रार्थी को निर्देशित किया गया कि जिला कलक्टर अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-10-2015 के विरुद्ध सक्षम अधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत की जावे। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश में यह भी आदेश दिया गया कि दिनांक 7-2-2017 से 60 दिवस की अवधि में यदि सक्षम अधिकारी के यहां अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत कर दी जाती है तो उसे समयावधि में माना जावेगा।



उन्होंने अपील एवं बरवक्त सुनवाई यह भी कथन किया कि अपीलांत के विरुद्ध करतार पिता रामनारायण जाट निवासी धौलपुरिया ने दिनांक 15-6-2011 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर में एक शिकायत की थी जिसके अनुसार ग्राम धौलपुरिया की राजस्व रेकार्ड जमाबंदी सम्वत 2065-68 के खाता संख्या 217 में कुल रकबा 49-14-00 बीघा में सुरेन्द्र सिंह वल्द छोटू सिंह हिस्सा 1/8 भूमि को अपनी पत्नी गणेशी पत्नी करतार जाट के नाम से बजरिये रजिस्ट्री खरीद की थी। इस भूमि का नामान्तरकरण उसने अपनी पत्नी गणेशी के पक्ष में खुलवाने के लिए हलका पटवारी से सम्पर्क किया तो महेश पारीक ने कहा कि पहले नामान्तरकरण के 3000 रूपये दे तथा जमाबंदी व गिरदावरी के पैसे अलग से देने पर तुझे नकले मिलेंगी। जबकि मेरे द्वारा उक्त खरीद भूमि का नामान्तरकरण गणेशी पत्नी करतार जाट के पक्ष में ग्राम धौलपुरिया का नामान्तरकरण संख्या 386 दिनांक 2-11-2010 को ही भरकर स्वीकृत कराकर जमाबंदी परत पटवार एवं कम्प्यूटर जमाबंदी में नोट लगा दिया था। खाता संख्या 217 में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 386 का नोट लगाने के पश्चात जमाबंदी व गिरदावरी की नकले ग्राम के नकल फीस रजिस्टर क्रमांक 92 पर दर्ज जारी की जा चुकी थी। इस प्रकार जमाबंदी कम्प्यूटर भी जारी की जा चुकी थी। शिकायतकर्ता करतार पिता रामनारायण जाट की शिकायत से संबंधित समस्त कार्य पटवारी स्तर का मैंने 7 माह पूर्व ही सम्पन्न कर दिया था। शिकायतकर्ता का कोई काम बाकी नहीं था। लेकिन फिर भी शिकायत कर्ता ने द्वेषतापूर्वक भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में जाकर षडयंत्र पूर्वक ट्रेप की योजना बनाकर मेरे विरुद्ध झूठा ट्रेप केस बनाया। प्रकरण अदालत डेजिग्नेटेड कोर्ट अजमेर में चला और वहां से मुझे भ्रष्टाचार

अधिनियम की धारा 13 (2) सपठित धारा 13 (1) डी के तहत दण्डनीय अपराध से दोषमुक्त कर दिया गया किन्तु भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 के तहत दोषी मानकर दो वर्ष का कठोर कारावास व 5000 हजार रुपये से दण्डित किया गया जिसके विरुद्ध मैंने माननीय उच्च न्यायालय में अपील की जिसके एस.बी. किमिनल अपील संख्या 325/2015 (बउनवान महेश कुमार पारीक बनाम राज0 सरकार) अभी भी लम्बित है और माननीय विचारण द्वारा दी गई सजा को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है। विचारण न्यायालय कोर्ट के द्वारा अपीलांट के विरुद्ध उसे हिरासत में लिये जाने के कारण जिला कलक्टर अजमेर के द्वारा प्रार्थी को निलंबित कर दिया गया।

उन्होंने अपील एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान यह भी कथन किया कि उक्त दण्डादेश के सन्दर्भ में महानिरीक्षक पुलिस प्रथम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर के पत्रांक भ्रनिब्यूरो/विधि/7/2015/1427-29 दिनांक 1-6-2016 का सन्दर्भ देते हुए राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प-2 (31) कार्मिक/क-3/96 दिनांक 31-12-96 का उल्लेख कर तथा कार्मिक (क-3/शिका.) विभाग जयपुर के पत्रांक प-6(2)का /क-3/ शिका./08 दिनांक 31-7-2013 के आधार पर जिला कलक्टर, अजमेर के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया जाकर प्रार्थी को सेवाओं से पदच्युत कर दिया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के साथ-साथ विधिविरुद्ध है। अनुशासनात्मक अधिकारी एवं जिला कलक्टर अजमेर ने भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के उक्त पत्र के दबाव में आकर सेवा समाप्ति का आदेश पारित कर दिया जो राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश मूलचन्द बनाम राजस्थान सरकार के फैसले के प्रतिकूल है। माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त प्रकरण में स्पष्ट रूप से सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि सेवा समाप्ति के आदेश करने पर अनुशासनात्मक प्राधिकारी स्वयं को अपना विवेक इस्तेमाल कर आवश्यक आदेश पारित करना चाहिए किन्तु उक्त आदेश अनुशासनिक अधिकारी द्वारा अनियमित तरीके से जारी किया गया है जो विधिविरुद्ध होने से निरस्त योग्य है।

अपीलार्थी ने अपील में एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान यह भी कथन किया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के अन्तर्गत किसी भी कर्मचारी को सेवा से हटाये जाने पर उसे बचाव का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करना आवश्यक है किन्तु अनुशासनात्मक प्राधिकारी एवं जिला कलक्टर अजमेर के द्वारा अपीलार्थी को बिना अवसर प्रदान किये ही राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 19(1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लेते हुए सेवा समाप्ति का आदेश जारी कर दिया जो अवैधानिक होने से निरस्त योग्य है।

उन्होंने अपील एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान यह भी कथन किया कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी एवं जिला कलक्टर अजमेर द्वारा पदच्युति आदेश में

आदेश जारी करते समय किन कारणों से अथवा किन आरोपों को सिद्ध मानते हुए सेवा समाप्ति आदेश जारी किये गये है उनका विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है। इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा एस.बी. सिविल याचिका संख्या 4480/2016 किशोर कुमार बनाम राज्य सरकार के मामले में स्थगन आदेश जारी किया गया है क्योंकि राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 19(1) में सेवा समाप्ति में पूर्ण रूप से अनुशासनात्मक प्राधिकारी अपने विवेक को प्रयोग में लेते हुए स्पीकिंग आदेश जारी करेगा ऐसी व्यवस्था की गई है किन्तु उक्त दण्डादेश में अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने अपना विवेक प्रयोग में नहीं लिया गया एवं न ही आदेश को स्पीकिंग रूप से जारी किया गया है।

अपीलार्थी का यह भी कथन है कि अपीलार्थी उक्त प्रकरण में दोषी नहीं है तथा माननीय विचारण न्यायालय के द्वारा बिना किसी साक्ष्य के अपीलार्थी को दण्डित कर दिया गया है जिसके आधार पर अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश की समीक्षा किये बिना ही भ्रष्टाचार निरोधक विभाग एवं कार्मिक विभाग के पत्र के आधार पर अपने विवेक का प्रयोग किये बिना ही पदच्युति (Terminate) का आदेश पारित कर दिया। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर जिला कलक्टर अजमेर द्वारा पारित पदच्युति आदेश दिनांक 19-10-2015 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील पर जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पैरावाईज टिप्पणी प्रेषित की गई जिसमें उनके द्वारा टिप्पणी अंकित की है कि अपीलार्थी श्री महेश पारीक पटवारी कालानाडा तहसील किशनगढ़ को ए.सी.बी. द्वारा रिश्वत के प्रकरण में रंगे हाथो दिनांक 16-6-2011 को पकड़े जाने तथा 48 घण्टे से अधिक की अवधि तक पुलिस हिरासत में रहने से इन्हें जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश क्रमांक 95 दिनांक 4-7-2011 के द्वारा हिरासत दिनांक 16-6-2011 से निलंबित कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर के पत्र दिनांक 3-8-2011 के द्वारा अपराध संख्या 221/11 अन्तर्गत धारा 7, 13(1) डी 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 में आरोपी पटवारी श्री महेश पारीक के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति चाहे जाने पर जिला कलक्टर, अजमेर के कार्यालय द्वारा दिनांक 10-8-2011 को अभियोजन स्वीकृति जारी की गई। माननीय न्यायालय न्यायाधीश, डेजिग्नेटेड कोर्ट, अजमेर के निर्णय दिनांक 8-4-2015 में पारित निर्णय में श्री महेश पारीक को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत दण्डनीय अपराध की दोषसिद्धि होने पर 2 वर्ष का कठोर कारावास व 5000/- रूपये जुर्माना से दण्डित किया गया तथा धारा 13(2) सपठित धारा 13(1) (डी) के तहत आरोपों से दोषमुक्त किया गया। उक्त निर्णय महानिरीक्षक पुलिस प्रथम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 1-6-2015 के साथ भिजवाते हुए अभियुक्त पटवारी श्री महेश कुमार पारीक को राज्य सरकार के

परिपत्र दिनांक 31-12-1996 की मंशा के अनुरूप राज्य सेवा से बर्खास्त कर ब्यूरो को अवगत कराने हेतु निवेदन किया गया।

महानिरीक्षक पुलिस प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर के पत्र दिनांक 1-6-2015 से प्राप्त न्यायालय के निर्णय दिनांक 8-4-2015 एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 31-12-1996 के बिन्दु संख्या 7(2) के संबंध में विधिक राय प्राप्त की जाकर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 89 दिनांक 16/19-10-2015 के द्वारा राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 31-12-1996 एवं सीसीए नियम 1958 के नियम 19 (1) के अन्तर्गत श्री महेश पारीक तत्कालीन पटवारी हलका कालानाडा तहसील किशनगढ़ को दिनांक 16-10-2015 से पदच्युत किया गया।

अपीलार्थी द्वारा दिनांक 5-1-2016 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आदेश दिनांक 19-10-2015 असंवैधानिक एवं गैर कानूनी जारी होने के कारण इसे वापस लेने का अनुरोध किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 11-1-2016 को प्राप्त हुआ। आवेदन पत्र के साथ प्रार्थी ने अन्य किसी प्रकार के पत्रादि प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे स्पष्ट हो सके कि जारी किया गया आदेश असंवैधानिक है।

राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.2(31) कार्मिक/क-3/96 दिनांक 31-12-1996 के बिन्दु संख्या 7 (2) के अनुसार किसी न्यायालय द्वारा सरकारी कर्मचारी को सिद्ध दोष ठहराये जाने पर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 19 के अधीन अधिरोपित की जाने वाली शास्ति उस कदाचार की गंभीरता के अनुरूप होनी चाहिए जिसके कारण उसे सिद्ध दोष ठहराया गया है। ऐसी किसी मामले में जिनमें सरकारी कर्मचारी को ऐसे अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया हो, जिससे लोक सेवा में उसे आगे रखना प्रथम दृष्टया अवांछनीय हो तो उसे सरकारी सेवा से पदच्युत करने, हटाने या अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त करने की कार्यवाही न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध सुनाते ही तुरन्त की जानी चाहिए। श्री महेश पारीक को माननीय न्यायालय द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत दण्डनीय अपराध की दोषसिद्धि होने पर 2 वर्ष का कठोर कारावास व 5000/- रुपये जुर्माना से दण्डित किया गया। अतः कार्मिक को परिपत्र एवं सीसीए नियम के नियम 19 के परिप्रेक्ष्य में सेवा से पदच्युत किया गया है। अपीलार्थी को दिया गया पदच्युत आदेश दिनांक 16/19-10-2015 नियमों में दी गई प्रक्रिया अनुसार जारी किया गया है जो उचित है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।



मैंने अपीलार्थी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उठाये गए बिन्दुओं पर विचार किया तथा जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा प्रेषित टिप्पणी, नोटशीट व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे स्पष्ट है कि अपीलांत के विरुद्ध करतार पिता रामनारायण जाट निवासी धौलपुरिया ने दिनांक 16-6-2011 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर में एक शिकायत की थी जो ग्राम धौलपुरिया की राजस्व रेकार्ड जमाबंदी सम्वत 2065-68 के खाता संख्या 217 में कुल रकबा 49-14-00 बीघा में सुरेन्द्र सिंह वल्द छोटू सिंह हिस्सा 1/8 भूमि को अपनी पत्नी गणेशी पत्नी करतार जाट के नाम से बजरिये रजिस्ट्री खरीद की थी जिसका नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु पटवारी हलका से सम्पर्क किया गया तो शिकायत कर्ता ने पटवारी हलका द्वारा 3000/- की मांग करने की शिकायत कर दी जबकि पटवारी हलका द्वारा ग्राम धौलपुरिया में स्थित विवादग्रस्त आराजियात का नामान्तरकरण गणेशी पत्नी करतार जाट के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 386 दिनांक 2-11-2010 को ही भरकर स्वीकृत कराकर जमाबंदी परत पटवार एवं कम्प्यूटर जमाबंदी में नोट लगा दिया था। अपीलार्थी द्वारा खाता संख्या 217 में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 386 का नोट लगाने के पश्चात जमाबंदी व गिरदावरी की नकले ग्राम के नकल फीस रजिस्टर क्रमांक 92 पर दर्ज जारी की जा चुकी थी तथा जमाबंदी कम्प्यूटर की नकल भी जारी की जा चुकी थी। शिकायतकर्ता करतार पिता रामनारायण जाट की शिकायत से संबंधित समस्त कार्य पटवारी स्तर का पटवारी हलका द्वारा 7 माह पूर्व ही सम्पन्न कर दिया था। उक्त प्रकरण अदालत डेजिग्नेटेड कोर्ट अजमेर में चला और वहां से अपीलार्थी को भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 13 (2) सपटित धारा 13 (1) डी के तहत दण्डनीय अपराध से दोषमुक्त कर दिया गया किन्तु भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 के तहत दोषी मानकर दो वर्ष का कठोर कारावास व 5000 हजार रुपये से दण्डित किया गया जिसके विरुद्ध अपीलार्थी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में अपील की जिसके किमिनल अपील संख्या 325/2015 बउनवान महेश कुमार बनाम राजस्थान सरकार व अन्य अभी भी लम्बित है। अपीलार्थी के द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश अन्तर्गत प्रकरण संख्या 9/11 में पारित दण्डादेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। एस.बी. किमिनल अपील संख्या 325/2015 में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित अपने आदेश दिनांक 22-4-2015 के द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध पारित दण्डादेश में सजा पर रोक लगा दी गई।

माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त प्रकरण में स्पष्ट रूप से सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि सेवा समाप्ति के आदेश करने पर अनुशासनात्मक प्राधिकारी स्वयं को अपना विवेक इस्तेमाल कर आवश्यक आदेश पारित करना चाहिए किन्तु उक्त आदेश के अवलोकन से ऐसा प्रतीत नहीं होता है। अनुशासनात्मक प्राधिकारी एवं जिला कलक्टर अजमेर द्वारा पदच्युति आदेश में



आदेश जारी करते समय किन कारणों से अथवा किन आरोपों को सिद्ध मानते हुए सेवा समाप्ति आदेश जारी किये गये हैं उनका विस्तृत विवरण भी नहीं दिया गया है।

पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर के पत्र दिनांक 3-8-2011 के द्वारा अपराध संख्या 221/11 अन्तर्गत धारा 7, 13(1) डी 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 में आरोपी पटवारी श्री महेश पारीक के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति चाहे जाने पर जिला कलक्टर, अजमेर के कार्यालय द्वारा दिनांक 10-8-2011 को अभियोजन स्वीकृति जारी की गई। माननीय न्यायालय न्यायाधीश, डेजिग्नेटेड कोर्ट, अजमेर के निर्णय दिनांक 8-4-2015 में पारित निर्णय में श्री महेश पारीक को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत दण्डनीय अपराध की दोषसिद्धि होने पर 2 वर्ष का कठोर कारावास व 5000/- रुपये जुर्माना से दण्डित किया गया है तथा धारा 13(2) सपठित धारा 13(1) (डी) के तहत आरोपों से दोषमुक्त किया जा चुका है।




यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि जब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा अपीलार्थी को धारा 13(2) सपठित धारा 13(1) (डी) के तहत आरोपों से दोषमुक्त किया जा चुका है तो अपीलार्थी को सेवा से बर्खास्त करने का कोई ठोस कारण / औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर ने जिला कलक्टर (भू.अ.) अजमेर से अभियोजन की स्वीकृति चाही गई। जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा दिनांक 10-8-2011 अभियोजन स्वीकृति जारी की गई है जबकि अपीलार्थी द्वारा शिकायतकर्ता को नकले पूर्व में ही जारी की जा चुकी थी।

यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि अपीलार्थी को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर द्वारा उक्त प्रकरण में भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 13 (2) सपठित धारा 13 (1) डी के तहत दण्डनीय अपराध से दोषमुक्त कर दिया गया किन्तु भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 के तहत दोषी मानकर दो वर्ष का कठोर कारावास व 5000 हजार रुपये से दण्डित किया गया जिसके विरुद्ध अपीलार्थी माननीय उच्च न्यायालय में अपील की गई जिसके एस.बी. क्रिमिनल अपील संख्या 325/2015 (बउनवान महेश कुमार पारीक बनाम राज0 सरकार) है और जो अभी भी लम्बित है तथा माननीय विचारण द्वारा दी गई सजा को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है तो ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को राज्य सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय उचित प्रतीत नहीं होता है।

अपचारी कर्मचारी श्री महेश पारीक पदच्युत पटवारी हाल मुकाम धाबाई मोहल्ला पुराना शहर किशनगढ़ जिला अजमेर के द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किये गये कथन एवं जवाब से सहमति व्यक्त करते हुए जिला कलक्टर अजमेर के द्वारा अपचारी कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 19(1) के अन्तर्गत जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित पदच्युत (Terminate) आदेश दिनांक 16/19.10.2015 प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के आलोक में फिलहाल प्रकरण की आज की परिस्थितियों को देखते हुए अत्यधिक कठोर प्रतीत होता है। यदि अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जाता है तो वह अपचारी पटवारी के सम्पूर्ण परिवार के वर्तमान एवं भविष्य को प्रभावित करेगा। अतःएव ऐसी परिस्थितियों में पदच्युत (Terminate) आदेश दिनांक 16/19-10-2015 को इसी स्तर पर समाप्त किया जाकर पुनः सुनवाई कर यथोचित आदेश पारित किये जाने बाबत जिला कलक्टर, अजमेर को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपचारी कर्मचारी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य होने से आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा जिला कलक्टर, अजमेर का आदेश दिनांक 19.10.2015 अपास्त किया जाकर प्रकरण जिला कलक्टर, अजमेर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में अदालत डेजिग्नेटेड कोर्ट अजमेर द्वारा आदेश/निर्णय दिनांक 8-4-2015 से अपीलार्थी को भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 13 (2) सपठित धारा 13 (1) डी के तहत दण्डनीय अपराध से दोषमुक्त कर दिये जाने किन्तु भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 के तहत दोषी मानकर दो वर्ष का कठोर कारावास व 5000 हजार रुपये से दण्डित किये जाने पर इस आदेश /निर्णय दिनांक 8-4-2015 के विरुद्ध अपचारी पटवारी /अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में एस.बी. किमिनल अपील संख्या 325/2015 बउनवान महेश कुमार बनाम राजस्थान सरकार व अन्य पेश किये जाने पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उनके निर्णय/आदेश दिनांक 22-4-2015 के द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 8-4-2015 में पारित सजा पर रोक लगाये जाने के आलोक में तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के तहत फिलहाल प्रकरण की आज की परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए अपचारी पटवारी के विरुद्ध जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 16/19-10-2015 अत्यधिक कठोर प्रतीत होने के कारण प्रकरण में अपचारी पटवारी को पुनः सुनवाई एवं साक्ष्य का पर्याप्त एवं समुचित अवसर दिया जाकर युक्तिसुगत, यथोचित एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की सूचना संबंधित को दी जावे।



(लक्ष्मी नारायण मीणा)

संभागीय आयुक्त,
अजमेर